

१. संस्था वाली

१. संस्था का नाम	:	श्री रामफोर श्रीमफोर शिल्पा संगठित
२. संस्था का पूरा पता	:	पाम ब पोरट-निमली, तहसील-गिलनीपुर, जिला-फैजाबाद
३. संस्था का कार्यक्षेत्र	:	रामपूर्ण उत्तर प्रदेश।
४. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के बारे में आजीवन सदस्य	:	जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एक बार में 2000/- रुपया वार्षिक नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति दल या अबल रूप में पदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा। जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 101/रुपया सालाना चन्दा पदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

५. सदस्यता की समाप्ति



६. संस्था के अंग :

साधारण सभा

गठन

देखके

सूचना अधिक

गणपूर्ति

वार्षिक अधिवेशन

साधारण सभा के कर्तव्य :

संस्था प्रतिलिपि

उन नियमों
पर्व तथा विद्युत साधारण सभा की सामान्य वैठक साल में एक बार व विशेष वैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

१०/१२/१२

साधारण सभा की सामान्य वैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष वैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

१०/१२/१२

साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

१०/१२/१२

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबंधकारिणी सभिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

१. साधारण सभा २. प्रबंधकारिणी सभिति।

संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

साधारण सभा की सामान्य वैठक साल में एक बार व विशेष वैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

साधारण सभा की सामान्य वैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष वैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबंधकारिणी सभिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

१. प्रबंधकारिणी सभिति का निर्वाचन करना।

२. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।

३. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।

४. संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया करना।

३. प्रबंधकारिणी सभिति

गठन

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबंधकारिणी

का गठन होगा, जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, प्रबंधक/सचिव एक, कोचाध्यक्ष एक तथा पांच सदस्य सहित कुल संख्या 9 होगी।



Vivek

Principal
Dr. Rajeshwar Singh Srivastava M.D.(M.S.)
Institute of Medical Sciences
Ghatampur, Milkpur, Ayodhya

४.५.

समाजिक

प्रयोगी

रिक्त सभाने की पूर्ति

पवनकारिणी समिति के गठन

पवनकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार निशेष नियम आवश्यकतानुसार किसी भी समय आयुर्वे की जी समेत है।

पवनकारिणी समिति की सामान्य बैठक की गृहना कम से कम सात दिन पूरी निशेष नियम की सूचना तीन दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।

पवनकारिणी समिति की प्रणाली हेतु कुल सदस्य संख्या का 2/3 गाग बहुमत कोरण होगा।

पवनकारिणी समिति के रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति सामान्य सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये की जायेगी।

संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।

संस्था का नामिक बजट तैयार करना।

संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु राज्य सरकार, केन्द्र

सरकार, सगाज कल्याण विभाग तथा भूमि-भवन दान

स्वरूप दान प्राप्त करना एवं भवन आदि का निर्माण करना।

प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को प्रबंध द्वारा ही लिखित पत्रों के अनुसार कार्य करना।

प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल पांच साल का होगा।

९. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

अध्यक्ष

रागी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।

बैठकों के लिए दिनांक का अनुमोदन, परिवर्तन एवं स्थगित करना।

बैठक का एजेण्डा तैयार करना।

संस्था के बैठकों की सूची प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को देना।

संस्था द्वारा संचालित केन्द्रों की व्यवस्था करना।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

सामान गत होने पर एक निर्णायक मत देना।

संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्यकरना।

पक्ष-विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।

पारित बजट के अन्तर्गत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।

कर्मचारियों/अध्यापकों को नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा मुक्त करना।

रादस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाना।

समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।

बिल एवं वाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

आवश्यकतानुसार उपसमितियों का गठन करना।

सामर्त संस्थाओं/एजेन्सियों/विभाग/मंत्रालय से संबंधित समस्त प्रपत्रों, लेखों-विलेखों पर हस्ताक्षर करना।

चल एवं अचल सम्पत्ति की देखरेख व सुरक्षा करना।

संस्था के वित्तीय मामलों में नियंत्रण।



R. S. Yadav

yadav

10/11/12

- १
- कोषाध्यक्ष**
13. संस्था के और रोपन वित्तानकर करना।
 14. संस्था का कार्यालयी प्रबन्ध देखना।
 1. आय-व्यय का लेखा जोखा रखना।
 2. रावस्तो रोपन सदस्यता शुल्क, चन्दा, दान आदि प्राप्त करना एवं उसकी रखीद देना।
 3. प्रबन्धक/सचिव द्वारा हरतात्तावारित विलों का भुगतान करना।
10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :
- संस्था के नियमों एवं विनियमों के संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।
11. संस्था का कोष :
- संस्था का समस्त कोष स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट अफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जगा किया जायेगा, जिसका आहरण प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।
12. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण आडिट :
- संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किसी सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।
13. संस्था के द्वारा अथवा उसके विलों अधिकारी कार्यवाही के संधालन का उत्तरदायित्व :
- संस्था द्वारा होने वाली पक्ष-विपक्ष के मुकदमों की पैरवी फैसला/सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्ध किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।
14. संस्था के अभिलेख :
- सदस्यता रजिस्टर
कार्यवाही रजिस्टर
सूचना/एजेण्डा रजिस्टर
लेजर-कैशयुक आदि
15. संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।



सत्य प्रतिलिपि

दिनांक : 05/07/2009

उप मिशनक
गर्व विधायक दल
प्रबन्धक
१८/१२/१२

R.S.Yadav
हस्ताक्षर

२०११-२०१२ के लिए



Vivek
Principal
Dr. Rajkumari Ram Sardar Yadav
Institute of Medical Sciences
Ghatampur, Milkpur, Ayodhya

